

**कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम**

क्रमांक : स्था/09/2025/488

दिनांक:- 21 जनवरी, 2025

- : आ-दे-श : -

01 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक G//B-4(i)(a)/1/76/03 दिनांक 07.01.2025 द्वारा निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारी का निम्नांकित शर्तों के अधीन कोटा न्यायक्षेत्र से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में लिपिक ग्रेड-II के रिक्त पद पर अंतर-जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण का अनुमोदन किया गया है :-

- 1- प्रार्थी/प्रार्थिया को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 2- प्रार्थी/प्रार्थिया कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
- 3- प्रार्थी/प्रार्थिया स्थानान्तरित न्यायक्षेत्र में वरिष्ठता का क्लेम नहीं करेंगे।

अतः अंतर-जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप निम्न कर्मचारी का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालयों में निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	जयपुर महानगर-1 में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
01	Priyanka Kaviya Clerk Grade-II	09.01.2025 F/N	Spl. JM (NI Act) No. 4	तुलसी कुमावत लिपिक ग्रेड-II

नोट:-

- a) उक्त कर्मचारी का वेतन इस न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उक्त पदस्थापन न्यायालय से गत भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार आहरित किया जावेगा।
- b) उपरोक्त कर्मचारी के इस न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से कार्यग्रहण करने का इन्द्राज उनकी सेवा पुस्तिका/सेवा रोल में पदस्थापन न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

02 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारीगण के पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	02	03	04
01	रोहित कुमावत आशुलिपिक ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act Cases) No. 16	ACJM No. 8
02	अजय दाधीच शरिस्तेदार ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act Cases) No. 6	ADJ No. 8
03	सरला शर्मा लिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 8	DJ Court
04	सुरेन्द्र कुमार बैरवा शरिस्तेदार ग्रेड-III	ACJ&JM No. 4	Family Court No. 1

03 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	रोहित कुमावत आशुलिपिक ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act Cases) No. 16	ACJ&JM No. 22 (Sanganer HQ)	रिक्त पद पर
2.	राघवेन्द्र माथुर शरिस्तेदार ग्रेड-I	ADJ No. 11 (Sanganer HQ)	ADJ No. 10 (Sanganer HQ)	शरिस्तेदार ग्रेड-I के रिक्त पद पर
3.	अजय दाधीच शरिस्तेदार ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act Cases) No. 6	ADJ No. 8	सरला शर्मा लिपिक ग्रेड-I
4.	सरला शर्मा लिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 8	Spl. JM (NI Act Cases) No. 6	अजय दाधीच शरिस्तेदार ग्रेड-III
5.	तुलसी कुमावत लिपिक ग्रेड-II	Spl. JM (NI Act Cases) No. 4	ADJ No. 9	रिक्त पद पर

*(Signature)*

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
6.	नवरतन बैरवा लिपिक ग्रेड-आ	CJ&JM (South)	Spl. JM (NI Act Cases) No. 6	मुकेश दुबे
7.	मुकेश दुबे लिपिक ग्रेड-आ	Spl. JM (NI Act Cases) No. 6	CJ&JM (South)	नवरतन बैरवा
8.	राजेश कुमार यादव लिपिक ग्रेड-आ	ACJ&JM No. 3	CJ&JM (East)	गौरव तिवारी
9.	गौरव तिवारी लिपिक ग्रेड-आ	CJ&JM (East)	ACJ&JM No. 3	राजेश कुमार यादव लिपिक ग्रेड-आ
10.	भागीरथ चौधरी च०श्रे०क०	ACJ&JM No. 18 (Sanganer HQ)	Gram Nyayalaya, Bassi	दीपक खटवा च०श्रे०क०
11.	दीपक खटवा च०श्रे०क०	Gram Nyayalaya, Bassi	ACJ&JM No. 18 (Sanganer HQ)	भागीरथ चौधरी च०श्रे०क०
12.	विनोद सैनी च०श्रे०क०	ADJ No. 2	ADJ No. 8	रिक्त पद पर
13.	नटवर सिंह च०श्रे०क०	ACJ&JM No. 8	ACJM No. 1	रिक्त पद पर

**नोट:-**

- a) उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।
- b) श्री अजय कुमार के स्थान पर श्री राघवेंद्र माथुर, शरिस्तेदार ग्रेड-आ, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-10, जयपुर महानगर-प्रथम (सांगानेर मुख्यालय) आगामी आदेश तक सांगानेर मुख्यालय पर नाजिर के पद से संबंधित कार्य संपादित करेंगे।
- 04 जयपुर महानगर-आ में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-


क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
01	राहुल यादव आशुलिपिक ग्रेड-आ	Spl. JM (NI Act Cases) No. 15	ADJ No. 5
02	संस्कृति लखेरा आशुलिपिक ग्रेड-आ	ACJ&JM No. 4	ACJM No. 8
03	रोहित कुमावत आशुलिपिक ग्रेड-आ	ACJ&JM No. 22 (Sanganer HQ)	ADJ No. 10 (Sanganer HQ)
04	दिलशाद खान आशुलिपिक ग्रेड-आ	ACJ&JM No. 14	ADJ No. 2
05	अशोक शर्मा शरिस्तेदार ग्रेड-आ	ADJ No. 9	DJ Court (Record Section - for the work of scanning and digitization of record)
06	लक्ष्मी निर्मल शरिस्तेदार ग्रेड-आ	ADJ No. 3	ACJM No. 3 (for the work of Reader)
07	सुनीता खत्री रीडर ग्रेड-आ	ACJM No. 3	ADJ No. 3 (for the work of Shristedar)
08	सरला शर्मा शरिस्तेदार ग्रेड-आ	Spl. JM (NI Act Cases) No. 6	DJ Court (Copying Section - Judges)
09	सुरेन्द्र कुमार बैरवा शरिस्तेदार ग्रेड-आ	ACJ&JM No. 4	Family Court No. 3
10	मुकेश दुबे लिपिक ग्रेड-आ	CJ&JM (South)	DJ Court (Statistics Section)
11	सुरेश चन्द शर्मा च०श्रे०क०	ADJ No. 8	DJ Court (Process Section)

*[Handwritten signature]*

नोट:-

- a) उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- b) उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-1 की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-11 की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था / 09 / 2025 / 488

दिनांक:- 21 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा/रेकॉर्ड शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी ....., जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी .....
- 05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जयपुर महानगर-प्रथम